



दिनांक: 01.06.2026

-प्रेस नोट-
ऑपरेशन सवेरा

“नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर”

□ सहारनपुर पुलिस की नशा तस्करो के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही □

थाना मिर्जापुर पुलिस का मादक पदार्थों की तस्करी पर करारा प्रहार — 01 नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार,
कब्जे से 585 ग्राम अवैध चरस बरामद

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थों / नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबन्धित दवाओं की तस्करी / बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनों जनपदों में **“ऑपरेशन सवेरा”** – “नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर” अभियान चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में नशील पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व नशे के कारोबार में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान **“ऑपरेशन सवेरा”** के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक श्री सूबे सिंह के कुशल नेतृत्व में दिनांक 31.05.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा चैकिंग व गश्त के दौरान **01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त आशिक पुत्र शकील निवासी ग्राम मिर्जापुर पोल थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर** को पजना पुल के पास एकीकृत ठोस अपशिष्ट केन्द्र के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त आशिक के कब्जे से 585 ग्राम अवैध चरस बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना मिर्जापुर पर मु0अ0सं0 160/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के पंजीकृत किया गया। अभियुक्त द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में **FORWARD AND BACKWARD** लिंको की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किये जा रहे हैं

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/ पता:-

आशिक पुत्र शकील निवासी ग्राम मिर्जापुर पोल थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

585 ग्राम अवैध चरस

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 अवशेष भाटी थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
2. हेका0 1318 दीपक शर्मा थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
3. का0 2017 चिराग थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
4. रिका0 1447 कपिल कुमार थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।



दिनांक: 01-06-2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना फतेहपुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा शान्ति भंग की आशंका में 09 अभियुक्तगण गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व कानून एवं शान्ति व्यवस्था हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चैकिंग की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक फतेहपुर श्री वीरेन्द्र सिंह राणा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 01.06.2026 को थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा चैकिंग व गश्त के दौरान प्रथम पक्ष 1.अब्दुल रहमान पुत्र बाबू 2.बाबू पुत्र फैयाज 3.मोहसिन पुत्र रागिव 4. समद पुत्र लियाकत 5. सूफियान पुत्र रागिव नि0गण ग्राम दतौली मुगल थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर तथा द्वितीय पक्ष 1.बाबर पुत्र मंगता 2.रागिव पुत्र महफूज 3. आमिर पुत्र मंगता 4. याकूब पुत्र हसमत नि0गण ग्राम दतौली मुगल थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर के बीच पूर्व से पंजीकृत मुकदमें को लेकर आपस में आमदा फसाद हो रहे थे, शान्ति व्यवस्था भंग होने की पूर्ण सम्भावना के दृष्टिगत उपरोक्त दोनों पक्षों को ग्राम दतौली मुगल से अन्तर्गत धारा 170/126/135 बीएनएसएस के गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1. अब्दुल रहमान पुत्र बाबू नि0 ग्राम दतौली मुगल थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
2. बाबू पुत्र फैयाज नि0 ग्राम दतौली मुगल थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
3. मोहसिन पुत्र रागिव नि0 ग्राम दतौली मुगल थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
4. समद पुत्र लियाकत नि0 ग्राम दतौली मुगल थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
5. सूफियान पुत्र रागिव नि0 ग्राम दतौली मुगल थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
6. बाबर पुत्र मंगता नि0 ग्राम दतौली मुगल थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
7. रागिव पुत्र महफूज नि0 ग्राम दतौली मुगल थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
8. आमिर पुत्र मंगता नि0 ग्राम दतौली मुगल थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
9. याकूब पुत्र हसमत नि0गण ग्राम दतौली मुगल थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री वीरेन्द्र सिंह राणा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री अमित सोनी थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री शेषपाल सिंह थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
4. है0का0 307 प्रदीप कुमार थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
5. है0का0 1110 प्रेम चौधरी थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर



दिनांक: 01.06.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म के मुकदमें में वांछित अभियुक्त
गिरफ्तार

घटना का विवरण:-

दिनांक 31.05.2026 को वादिया की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त आकिल पुत्र वहीद निवासी ग्राम घोघरेकी थाना कोतवाली देहात जिला सहारनपुर द्वारा वादिया की नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करने की सूचना के सम्बंध में थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0स0 253/2026 धारा 65(1)/115(2)/351(3) बीएनएस व 5n/6 पोक्सो एक्ट में पंजीकृत किया गया।

पुलिस कार्यवाही:-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गए। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री हृदय नारायण सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 01.06.2026 को थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में **वांछित अभियुक्त आकिल पुत्र वहीद निवासी ग्राम घोघरेकी थाना कोतवाली देहात जिला सहारनपुर** को दुधली फाटक के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

आकिल पुत्र वहीद निवासी ग्राम घोघरेकी थाना कोतवाली देहात जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 विजय कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।
2. है0का0 973 धर्मवीर सिंह थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।
3. का0 2300 पीतम सिंह थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।



दिनांक: 01.06.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा धोखाधड़ी के मुकदमें में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

घटना का विवरण:-

1. दिनांक 16.05.2026 को वादी सलीम पुत्र अब्दुल वाहिद निवासी ग्राम महेश्वरी खुर्द थाना कोतवाली देहात जिला सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त मुजयन पुत्र मुस्तकीम निवासी चौधरी विहार थाना कोतवाली देहात सहारनपुर आदि द्वारा वादी के साथ धोखाधड़ी कर फर्जी प्लाट दिखाकर कुल 12 लाख रुपये (चार लाख रुपये बयाना, पांच लाख रुपये फर्जी मालिक मुकेश के माध्यम से व तीन लाख रुपये अतिरिक्त) हड़प लेने की सूचना के सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0स0 206/2026 धारा 318(4)/319(2)/351(2)/3(5) बीएनएस के पंजीकृत कराया गया था।
2. दिनांक 16.05.2026 को वादी फरमान पुत्र फुरकान निवासी नूर बस्ती सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त मुजयन पुत्र मुस्तकीम निवासी चौधरी विहार थाना कोतवाली देहात सहारनपुर आदि द्वारा वादी के साथ धोखाधड़ी कर 180 वर्ग गज का फर्जी प्लाट दिखाकर कुल 4 लाख 30,000/- रुपये हड़प लेने, फर्जी चेक देने व बाद में पैसे वापस मांगने पर रसूलपुर में रोककर वादी के साथ मारपीट करने व जान से मारने की धमकी देने की सूचना के सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0 207/2026 धारा 318(4)/336(3) /340(2) /115(2) /351(2) /3(5) बीएनएस के पंजीकृत किया गया था।

पुलिस कार्यवाही:-

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री हृदय नारायण सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 01.06.2026 को थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा उपरोक्त मुकदमों में **वांछित अभियुक्त मुजयन पुत्र मुस्तकीम निवासी चौधरी विहार थाना कोतवाली देहात सहारनपुर** को मठ तिराह के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पता:-

मुजयन पुत्र मुस्तकीम निवासी चौधरी विहार थाना कोतवाली देहात सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

4. उ0नि0 विमल कुमार सैनी थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।
5. है0का0 705 जय कुमार थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर।
6. है0का0 241 कपिल तोमर थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर।



दिनांक: 01-06-2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बेहट पुलिस द्वारा शादी का झाँसा देकर दुष्कर्म करने वाले वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

घटना का विवरण:-

दिनांक 31.05.2026 को वादिया की लिखित तहरीर बाबत दिनांक 20.03.2026 से अभियुक्त भूरा पुत्र मोहसीन निवासी मौहल्ला इन्द्रा कालोनी कस्बा व थाना बेहट सहारनपुर द्वारा वादिया को शादी का झाँसा देकर वादिया की इच्छा के विरुद्ध वादिया से दुष्कर्म करना तथा वादिया द्वारा अभियुक्त के भाई के फोन पर सम्पर्क करने पर अभियुक्त की भाभी नाम पता नामालूम द्वारा गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देने व अभियुक्त द्वारा शादी से मना कर देने की सूचना के सम्बन्ध में थाना बेहट पर मु0अ0स0 227/26 धारा 69/352/351(3) बीएनएस व 3(2)5,3(1)द,3(1)ध एससी/एसटी एक्ट के पंजीकृत कराया गया।

पुलिस कार्यवाही:-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये थे। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री जितेन्द्र सिंह दीखित के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 01.06.2026 को थाना बेहट पुलिस टीम द्वारा मु0अ0स0 227/26 धारा-69/352/351(3) बीएनएस व 3(2)5,3(1)द,3(1)ध एससी एसटी एक्ट में वांछित **अभियुक्त भूरा पुत्र मोहसीन नि0 मौहल्ला इन्द्रा कालोनी कस्बा व थाना बेहट सहारनपुर** को उसके मसकन से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

भूरा पुत्र मोहसीन नि0 मौहल्ला इन्द्रा कालोनी कस्बा व थाना बेहट सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री महेश चन्द थाना बेहट जनपद सहारनपुर
2. का0 1354 अभिषेक खोखर थाना बेहट जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 01-06-2026

सहारनपुर पुलिस का अवैध खनन करने वालों पर करारा प्रहार, अवैध खनन सामग्री का परिवहन कर रहे 02 ट्रैक्टर-ट्राली को किया गया सीज

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व अवैध रूप से खनन परिवहन करने वाहनों के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक नकुड़ श्री देवेश कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व में थाना नकुड़ पुलिस व राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा चैकिंग के दौरान अवैध खनन की सूचना पर ग्राम टाबर के पास से 02 नीले रंग को सोनालीका DI-750 III ट्रैक्टर मय रेत से भरे डबल जोड़ा ट्राला को रोककर चैक करने का प्रयास किया तो चालक मौके से फरार हो गये। दोनों ट्रैक्टर ट्रालियों से अवैध खनन का कार्य किया जा रहा था, उपरोक्त ट्रैक्टरों को मय खनिज यमुना की बालू से भरी हुई ट्राली के थाना परिसर में खड़ा कराया गया। खनन संबंधी अग्रिम समस्त कार्यवाही हेतु रिपोर्ट तैयार कर सम्बन्धित विभागों को प्रेषित की जा रही है।

बरामदगी का विवरण:

- 01 नीले रंग का सोनालीका DI-750 III ट्रैक्टर मय डबल जोड़ा ट्राला रेत से भरी हुई इंजन न0-4100ELU24L245896F32, चैसिस नं0- BZZBK126275953
- 01 नीले रंग का सोनालीका DI-750 III ट्रैक्टर मय जोड़ा ट्राला रेत से भरी हुई इंजन न0-4100EL24A113693F16, चैसिस नं0- BZZDJ 114651053

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री देवेश कुमार शर्मा थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर,
2. उ0नि0 श्री रविन्द्र धामा थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर,
3. का0 1059 अनुज कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-
“ऑपरेशन सवेरा”

दिनांक- 01.06.2026



“नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर”

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर सहारनपुर पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला 01 शातिर

नशा तस्कर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 380 ग्राम अवैध चरस बरामद

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक सहारनपुर, परिक्षेत्र सहारनपुर द्वारा परिक्षेत्र सहारनपुर में मादक पदार्थों /नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबन्धित दवाओं की तस्करी, बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनों जनपदों में “ऑपरेशन सवेरा” – “नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर” अभियान चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में, पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक कुतुबशेर श्री सन्तोष कुमार त्यागी के कुशल नेतृत्व में दिनांक 31.05.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना कुतुबशेर पुलिस टीम द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 01 शातिर नशा तस्कर/अभियुक्त राशिद उर्फ चीता पुत्र अकबर निवासी मौ0 पीर वाली गली न0- 4 थाना मंडी सहारनपुर को दबनी कब्रिस्तान तालाब के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 380 ग्राम अवैध चरस बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना कुतुबशेर पर मु0अ0स0 246/26 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के पंजीकृत किया गया। अभियुक्त द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में FORWARD AND BACKWARD लिंको की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

राशिद उर्फ चीता पुत्र अकबर निवासी मौ0 पीर वाली गली न0- 4 थाना मंडी सहारनपुर

बरामदगी-

380 ग्राम अवैध चरस

गिरफ्तार अभियुक्त राशिद उर्फ चीता का आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 169/20 धारा 60 आबकारी एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 158/18 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना कुतुबशेर सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 103/19 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 348/21 धारा 379/411 आईपीसी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
5. मु0अ0सं0 349/15 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना मण्डी सहारनपुर,

6. मु0अ0सं0 423/15 धारा 379/411 आईपीसी थाना मण्डी सहारनपुर
7. मु0अ0सं0 354/17 धारा 379/511 आईपीसी थाना मण्डी सहारनपुर,
8. मु0अ0सं0 684/19 धारा 379/411 आईपीसी थाना मण्डी सहारनपुर,
9. मु0अ0सं0 251/20 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना मण्डी सहारनपुर,
10. मु0अ0सं0 273/23 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना मण्डी सहारनपुर,
11. मु0अ0सं0 126/25 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना मण्डी सहारनपुर,
12. मु0अ0सं0 246/26 धारा 8/20 एनडीपीएस थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर,

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का विवरण-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री संतोष कुमार त्यागी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 बलवीर सिंह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 आकाश कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
4. है0का0 974 अणित भाटी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
5. है0का0 840 अनुज आर्य थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
6. है0का0 31 सुभाष थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर



दिनांक- 01.06.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा, सहारनपुर पुलिस द्वारा एक वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष सरसावा श्री प्रवेश कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 01.06.2026 को थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा चैकिंग व गश्त के दौरान **01 वांछित अभियुक्त सारिक पुत्र शहनबाज निवासी ग्राम सलेमपुर थाना सरसावा जिला सहारनपुर** को सम्बन्धित मु0अ0स0 176/026 धारा 69/333/352/352(2) बीएनएस थाना सरसावा में गन्ना मिल के पास रेलवे पुल के नीचे से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

सारिक पुत्र शहनबाज निवासी ग्राम सलेमपुर थाना सरसावा जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली टीम

1. म0उ0नि0 नेहा उपाध्याय थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
2. का0 2413 जगदीश सिंह थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
3. का0 2190 मंगल सिंह थाना सरसावा सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक 01-06-2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-14 जनपद सहारनपुर द्वारा पोक्सो एक्ट के मुकदमें में अभियुक्त को 04 वर्ष का कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई:-

अवगत कराना है, कि दिनांक 12.05.2024 को वादी की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त असलम पुत्र जिम्मू नि० अमन कालोनी थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर के द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री के साथ छेडछाड करने करने की सूचना पर मु०अ०स०-111/2024 धारा-354(क),352,504,506 भादवि व 7/8 पो० एक्ट थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर पर पंजीकृत कराया गया। उपरोक्त अभियोग एसटी नं०-1188/2024 पर माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या -14 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में **OPRATION CONVICTION** में चिन्हित मांनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासों के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं०-14 जनपद सहारनपुर द्वारा आज दिनांक **01.06.2026** को अभियुक्त असलम पुत्र जिम्मू नि० अमन कालोनी थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर को मु०अ०स०-111/2024 धारा 354(क),352,504,506 भादवि व 7/8 पोक्सो एक्ट का दोषी पाते हुए **04 वर्ष का कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

शासकीय अधिवक्ता- (ए०डी०जी०सी०) श्री मेघराज सैनी

विवेचक- उपनिरीक्षक श्री कृष्ण पाल सिंह

पैरोकार का०- 253 मनोज कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।